



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-09042024-253613  
CG-GJ-E-09042024-253613

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]  
No. 242]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 8, 2024/चैत्र 19, 1946  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 8, 2024/CHAITRA 19, 1946

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 2 अप्रैल, 2024

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान सेवाएँ) (संशोधन) विनियम, 2024

आईएफएससीए/जीएन/2024/002.-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 28 की उप-धारा 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान सेवा) विनियम, 2024 (इसके बाद प्रधान विनियम कहा जाएगा) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (i) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान सेवाएँ) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।  
(ii) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- मूल विनियमों के विनियम 2 में उप-विनियम (1) के खंड (1) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(1) "एस्करो सेवा" का अभिप्राय भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा समझौते के अधीन प्रदान की गई सेवा से है, जिसके अधीन ऐसे भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा धनराशि को लेनदेन प्रक्रिया को पूर्ण करने में रत एक या अधिक पक्षों के लिए और

उनकी ओर से आईएफएससी बैंकिंग यूनिट ('आईबीयू') या आईएफएससी बैंकिंग कंपनी ('आईबीसी') के एस्करो खाते में रखा जाता है।”

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./011/2024-25]

## INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

### NOTIFICATION

Gandhinagar, the 2nd April, 2024

#### INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (PAYMENT SERVICES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

**IFSCA/GN/2024/002.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 read with sub-section 1 of section 28 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations further to amend the International Financial Services Centres Authority (Payment Services) Regulations, 2024 (hereinafter referred to as the Principal Regulations), namely: -

1. (i) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Payment Services) (Amendment) Regulations, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Principal Regulations for clause (1) of sub-regulation (1) the following clause shall be substituted, namely:

“(1) “escrow service” means the service provided by a payment service provider, under an agreement, whereby money is held by such payment service provider in an escrow account with an IFSC Banking Unit (‘IBU’) or an IFSC Banking Company (‘IBC’) for and on behalf of one or more parties that are in the process of completing a transaction;

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exy./011/2024-25]